बिहार सरकार **राज्य स्कीम**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0–1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार,, पटना ।

पटना, दिनांक– 02/01/18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृति प्रदान करने हेतु कुल रू0 83694.14 लाख (रू0 आठ अरब छत्तीस करोड़ चौरानबे लाख चौदह हजार) मात्र बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प सख्यां–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के लिए राशि की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

1– उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत अंतर्गत) मद में रू0 9450.00 लाख, प्राथमिक एव मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत अंतर्गत) मद में रू0 18050.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में कुल रु0 78294.14 लाख अर्थात रू० 105794.14 लाख मात्र का बजट उपबन्ध किया गया है। उक्त बजट उपबंध के विरूद्ध उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत अंतर्गत) मद में रू0 9450.00 लाख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत अंतर्गत) मद में रू0 18050.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में रू 56194.14 लाख अर्थात कुल रू 83694.14 लाख (रू0 आठ अरब छत्तीस करोड़ चौरानवे लाख चौदह हजार) मात्र प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:--

(क)– 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा विषय शीर्ष–31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन विपत्र कोड 11–2225031970101

(ख)– 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0101 छात्रवृत्ति/वजीफा विषय शीर्ष––31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन विपत्र कोड 11–2225031980101

(ग)– 277–शिक्षा–0101–शिक्षा– विषय शीर्ष–34–छात्रवृति/वजीफा (34.01–छात्रवृति/वजीफा) विपत्र कोड–11–2225032770101

3– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4– शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808, दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6– स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

7– स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

8–प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

P.T.O.

09– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का अनुमोदन प्राप्त है।

10–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11– इस संबंध में पूर्व के निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–30, दिनांक–12.06.2017 को निरस्त किया जाता है।

12–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि–उप सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोकड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि–सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/छात्रवृति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक 06/2010– 01 पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।